समक्ष - एस.एस. कांग और ए.एल. बहरी जे.जे.

अमर सिंह - याचिकाकर्ता

बनाम

पह्लाद और अन्य - प्रतिवादी

नागरिक संशोधन क्रमांक 845 ऑफ़ 1987

4 अक्टूबर 1988.

सिविल प्रक्रिया संहिता (V ऑफ़ 1908)– धारा 35, 115 और आदेश 6, नियम 17-साक्ष्य अधिनियम (I ऑफ़ 1872)- धारा 115–लागत के अधीन वाद में संशोधन की अनुमति– प्रतिवादी विरोध के तहत दी गई लागत को स्वीकार कर रहा है–लागत स्वीकार करने का अधिनियम–क्या प्रतिवादी को संशोधन की अनुमति देने वाले चुनौतीपूर्ण आदेश से रोकता है।

अभिनिर्णित - याचिकाकर्ता ने वाद में संशोधन की अनुमति देते हुए आदेश में दी गई लागत को स्वीकार कर लिया है और आगे उल्लेख किया है कि वह विरोध के तहत राशि स्वीकार कर रहा है। यह याचिकाकर्ता की ओर से एकतरफा कृत्य था। भले ही उसने लागत स्वीकार नहीं की होती, फिर भी वादी द्वारा उसे अदालत में जमा कर दिया जाता। यदि याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अदालत से एकतरफा लागत वापस ले ली है कि वापसी का विरोध किया जाएगा, तो वह अनुमोदन या निंदा नहीं कर सकता है, जो आदेश का लाभ स्वीकार कर रहा है और साथ ही आदेश पारित करने पर आपत्ति कर रहा है। उन्हें आदेश को

समग्र रूप से स्वीकार करना पड़ा। उसने जो किया वह यह था कि उसने लागतें स्वीकार कर लीं और इस तरह पारित आदेश की शुद्धता को स्वीकार कर लिया। हालाँकि लागत स्वीकार करते समय याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह विरोध के तहत ऐसा कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विपक्षी ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के बयान पर सहमति नहीं दी थी। यदि वास्तव में याचिकाकर्ता वाद-पत्र में संशोधन के आदेश को चुनौती देना चाहता था, तो उसके लिए लागत स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं थी। लागत न्यायालय में जमा रहेगी। वाद में संशोधन की अनुमति देते समय न्यायालय द्वारा वादी पर लगाई गई लागत पर याचिकाकर्ता का अधिकार मुकदमे में याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार पर आधारित नहीं था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वाद-विवाद में संशोधन होने तक हुई असुविधा के लिए याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए अदालत द्वारा लागत का आदेश दिया गया था। लागत के संबंध में ऐसा आदेश आदेश 6 नियम 17, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के मद्देनजर वादपत्र में संशोधन के लिए नियमों या शर्तों पर किया गया था। इस तरह के आदेश को दूसरे पक्ष की निंदा करते हुए किसी भी पक्ष द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। वादी यह कहते हुए संशोधित वाद दायर नहीं कर सका कि वह मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय लागत का भुगतान कर सकता है। इसी प्रकार प्रतिवादी लागत स्वीकार करते समय यह नहीं कह सकता था कि वह अपील या पुनरीक्षण में आदेश को चुनौती देगा या यदि वादपत्र के संशोधन के आदेश को रद्द कर दिया गया तो वह वापस ली गई लागत वापस कर देगा।

मामले का सार यह है कि याचिकाकर्ता ने क्या किया, न कि उसने क्या कहा। उन्होंने लागत स्वीकार कर आदेश को सही माना। उन्होंने आदेश का फायदा उठाया है. वह अब पलट कर यह नहीं कह सकते कि वह भी आदेश को चुनौती देंगे। उसे आदेश को चुनौती देने की अनुमति देना लागतों की स्वीकृति के प्रभाव को ख़त्म करने जैसा होगा। ऐसी परिस्थितियों में. वह अनुमोदन और प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकता। उसका अपना कृत्य ही उसे रोक देगा। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास दो विकल्प थे, एक लागत स्वीकार करना और दूसरा आदेश को सही मानना। दूसरा, लागतों को स्वीकार न करना और संशोधन में उसे चुनौती देना। उन्होंने लागतों को स्वीकार करने का चुनाव करते हुए आदेश को सही मानकर अपनी पसंद का प्रयोग किया। ऐसे में उनका विरोध दर्ज कराना बेमानी है।

(पैरा 6)

रणधीर सिंह बनाम कमलेश एवं अन्य, AIR 1980 Pb. And Hry. 70

(ख़ारिज कर दिया गया).

यह मामला डी.बी. में दाखिल किया गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग ने, दिनांक 27 जुलाई, 1987 के आदेश के तहत, पक्षों के विद्वान वकील के रूप में, इस बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा दो मामलों में व्यक्त किए गए भिन्न विचारों के दो निर्णयों का हवाला दिया। दोनों के अनुपात में असहनीय विरोध है। मामला माननीय 4थी बेंच (माननीय मुख्य न्यायाधीश

के आदेशानुसार) के समक्ष तय किया गया था, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग और माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.एल. बहरी शामिल थे।

सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत याचिका ए.के. राजन एचसीएस, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, मोहिंदरगढ़ के न्यायालय के दिनांक 8 मार्च 1987 के आदेश में संशोधन के लिए, लागत के रूप में 500 रुपये के भुगतान के अधीन वादपत्र में संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति दी गई ।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.के. बाली, अधिवक्ता श्री रंजीत शर्मा के साथ।

प्रतिवादियों की ओर से वकील डी. वी. गुप्ता।

निर्णय

ए एल बहरी, जे.

(1) यह पुनरीक्षण याचिका डी.बी. में स्वीकार की गई थी। इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा दो मामलों में व्यक्त किए गए भिन्न-भिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए। पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, मोहिंदरगढ़ द्वारा पारित 6 मार्च, 1987 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके तहत वादपत्र में संशोधन के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VI, नियम 17 के तहत दायर एक आवेदन को रु. लागत के रूप में 500 भुगतान

के अधीन अनुमति दी गई थी। पेरह्लाद द्वारा गोपाल को 112 कनाल 15 मरला भूमि, जो कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के साथ-साथ सह-दायित्व संपत्ति थी, को बिना प्रतिफल या कानूनी आवश्यकता के हस्तांतरित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने के लिए मुकदमा दायर किया गया था। जब पुनरीक्षण याचिका में प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था, तो प्रतिवादी की ओर से यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से विरोध के बावजूद, आक्षेपित आदेश द्वारा लगाई गई लागत को स्वीकार कर लिया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने इसकी शुद्धता को स्वीकार कर लिया था। आक्षेपित आदेश पर पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की जा सकी। जे. वी. गुप्ता, जे., बाबा पदर्न गिर चेला (शिष्य) बाबा चौदिश गिर बनाम मूर्ति (आध्यात्मिक) श्री पारस नाथ दिगंबर जैन दिगंबर जैन इवलनैर, जिंद[1] में स्थापित, समान परिस्थितियों में आयोजित जहां अपीलकर्ता ने स्वीकार कर लिया था विरोध के तहत लागत, कि वह वादी के संशोधन की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ आंदोलन करने की अनुमति नहीं दे सका। सी. एस. तिवाना, जे., रणधीर सिंह बनाम कमलेश और अन्य[2] में, यह माना गया कि जब विरोध के तहत लागत स्वीकार की गई तो यह पता चला कि संबंधित व्यक्ति ने आदेश को स्वीकार नहीं किया था और इस प्रकार वह बाद के चरण में ऐसे आदेश को चुनौती दे सकता था। ऐसे पक्ष के वकील को यह विशिष्ट बयान देने की आवश्यकता नहीं थी कि वह अपील या पुनरीक्षण में वादपत्र के संशोधन के आदेश को चुनौती

[1] 1981 CLJ (Civil) 411
[2] AIR 1980 Pb. NA d Hry. 70

देने का अपना अधिकार सुरक्षित रख रहा है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण याचिका में निर्धारण का प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने विरोध के तहत वादपत्र में संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति देते समय न्यायालय द्वारा दी गई लागत को स्वीकार कर लिया है, ऐसे आदेश को चुनौती दे सकता है।

(2) इसमें शामिल प्रश्न रोक से संबंधित है, यानी, जब पार्टी ने आदेश के तहत लाभ स्वीकार कर लिया था तो वह बाद में उसे चुनौती नहीं दे सकता था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 विबंधन के प्रश्न से संबंधित है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

> "115. एस्टॉपेल- जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या चूक द्वारा, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सच मानने और ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित या अनुमति दी है, तो न तो उसे और न ही उसके प्रतिनिधि को किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में अनुमति दी जाएगी। अपने और ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के बीच, उस बात की सच्चाई को नकारना।"

इस तरह के मामले पर 1916 की शुरुआत में बंकू चंद्र बोस और अन्य बनाम मरियम बेगम और अन्य[3] में विचार किया गया था। उस मामले में मुकदमा अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था लेकिन बाद में लागत के भुगतान पर बहाल करने का आदेश दिया गया था। प्रतिवादियों ने वादी द्वारा भुगतान की गई लागत को स्वीकार कर लिया और यह माना

[3] XXXVII Indian Cases 804

गया कि उन्हें इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील करने से रोक दिया गया था। कारण यह बताया गया कि उन्होंने उक्त आदेश के खिलाफ अपील करने के इरादे को दर्ज किए बिना लागत स्वीकार कर ली थी। टिंकलर बनाम हिल्डर[4] के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें यह देखा गया कि: -

> "प्रतिवादी एक उद्देश्य के लिए आदेश को अपना नहीं सकते हैं और फिर इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए अलग रखने का दावा नहीं कर सकते हैं।"

एस.पी.एस.ए.एल. में रामास्वामी चेट्टियार बनाम वी.सी.टी.एन. चिदम्बरम चेट्टियार[5] के मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय ने विचार किया। उस मामले में पार्टी ने विरोध के तहत लागत स्वीकार कर ली। यह माना गया कि वह बाद में इस बात पर आपत्ति नहीं कर सकता था कि आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना दिया गया था।

प्रतिवादी द्वारा वादी को रुपये का भुगतान करने पर लिखित बयान में संशोधन की अनुमति दी गई थी। लागत के रूप में 150. प्रतिवादी ने पैसे का भुगतान किया जिसे वादी के वकील ने "विरोध के तहत" स्वीकार कर लिया। आदेश को चुनौती दी गई तो आपत्ति ली गई। टिंकलर बनाम मिल्डर और बंकू चंद्र बोस बनाम मरियम बेगम के निर्णयों का उल्लेख किया गया था।

---

[4] (1849) 4 Exch. 187
[5] AIR 1927 Madras 1009(2)

याचिकाकर्ता की ओर से बंकू चंद्र बोस के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया: -

> "व्यक्तिगत रूप से, मैं यह सोचने में मदद नहीं कर सकता कि प्रतिवादी कहीं बेहतर स्थिति में होते यदि उन्होंने कहा होता: 'हम इस आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा रखते हैं और हम केवल विरोध के तहत यह राशि स्वीकार करते हैं।"

उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

> “यह निर्णय व्यापक सिद्धांत पर आधारित है कि क्या किया गया है, यह नहीं कि क्या कहा गया है, यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। याचिकाकर्ता ने धन प्राप्त किया जो उसे अन्यथा नहीं मिल सकता था, और हालांकि उसने विरोध किया लेकिन उसने उस लाभ का आनंद लिया, उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि आदेश अधिकार क्षेत्र के भीतर था।

इसे आगे इस प्रकार रखा गया: -

> “मजबूरी का कोई सवाल ही नहीं है जो इसे मणिलाल बनाम हरेंद्र लाई (1910) 12 सी.एल.जे. के समान मामले से अलग करता हो। 556-8 आई.सी. 79; पैसा आसानी से जमा हो सकता है। न ही मुझे लगता है कि ऊपर उद्धृत अधिकारी ओलिवर बनाम

नवंबर टिल यूएस स्टीम शिपिंग कंपनी (1903) 2 के.बी. से हिल गए हैं। 639-72 एल.जे.के.बी. 857, कर्मकार मुआवज़ा अधिनियम के तहत एक विशेष मामला।"

रामास्वामी चेट्टियार बनाम चिदम्बरम चेट्टियार में मद्रास उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर वेंकटरायडु और अन्य बनाम राम कृष्णय्या और अन्य [6] में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा विचार किया गया था, और इसका पालन नहीं किया गया था। इस विषय पर कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, यह निम्नानुसार देखा गया: -

"इन निर्णयों के पीछे क्या सिद्धांत है? जब कोई आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसका उद्देश्य पूरी तरह से प्रभावी होना है और इसके कई हिस्से एक-दूसरे पर निर्भर हैं, तो कोई व्यक्ति एक हिस्से को अपना नहीं सकता है और दूसरे को अस्वीकार नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि न्यायालय निर्देश देता है कि वादी को विरोधी पक्ष की लागत का भुगतान करने पर मुकदमा बहाल किया जाएगा, तो आदेश में उल्लिखित शर्तों को छोड़कर, वादी को लाभ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि पार्टी को लागत प्राप्त होती है, तो उसका कार्य आदेश को अपनाने के समान है। दूसरे शब्दों में, लागत का भुगतान, जैसा कि यह था, मुकदमे को बहाल करने के लिए प्रतिफल है; ताकि, प्रतिवादी लागत स्वीकार न कर सके और फिर भी आदेश पर आपत्ति न कर सके। फाल्सबरी के अनुसार, यह नियम इस सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है कि 'एक

[6] AIR 1930 Madras 268

व्यक्ति अनुमोदन और निंदा नहीं कर सकता है'। (13 हैल्सबरी। पैरा 508)। ब्रूम के कानूनी सिद्धांतों में, इसे इस कहावत के उदाहरण के रूप में माना जाता है:

'किसी भी व्यक्ति को एक ही लेन-देन के संबंध में गर्म और ठंडा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (सं. 9, पृ. 118)'

दूसरे शब्दों में, ऐसे आदेश के तहत लाभ लेने वाले पक्ष को इसके खिलाफ शिकायत करने की अनुमति देना, विश्वास के उल्लंघन की अनुमति देना होगा। इस कथन से, यह स्पष्ट है कि यदि किसी पक्ष को आदेश पर आपत्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए लाभ प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में उसे उस पर हमला करने से नहीं रोका जाएगा। इस संबंध में मैं रामास्वामी बनाम चिदम्बरम मामले में जैक्सन, जे. की टिप्पणियों से असहमत हूं, जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। उस विद्वान न्यायाधीश का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पक्ष विरोध के तहत लाभ स्वीकार कर लेता है। इस संबंध में, निश्चित रूप से, 'विरोध के तहत' अभिव्यक्ति के महत्व को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(3) दो अन्य मामलों का संदर्भ दिया जा सकता है जिनमें लागतें स्वीकार की गईं लेकिन ऐसे आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रखा गया। यह माना गया कि ऐसे अधिकार सुरक्षित रखे बिना लागत स्वीकार करने के बाद आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती। वे मामले हैं अब्दुल रहमानखान और अन्य बनाम फेल्कव्स मोहम्मदखान और अन्य,

[7] और मणिराम बनाम बेहरिदास [8], एच.जी. कृष्णा रेड्डी एंडएल कंपनी बनाम एम.एम. थ.इम.मिया और। दूसरा [9], एक ऐसा मामला था जहां अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में, विक्रेता-प्रतिवादी ने बयाना राशि वापस कर दी, जिसे वादी ने अपने अधिकारों के लिए "बिना किसी पूर्वाग्रह के" स्वीकार कर लिया, डिवीजन बेंच ने माना कि वादी ने अपना अधिकार माफ कर दिया अनुबंध का अधिकार. इसे निम्नानुसार देखा गया है:-

> "इसलिए, संदर्भ में, बिक्री के अनुबंध के तहत उसके अधिकारों के लिए 'बिना किसी पूर्वाग्रह के' शब्दों के उपयोग द्वारा सशर्त स्वीकृति किसी भी तरह से इस तथ्य से कमतर नहीं हो सकती है कि उसने अनुबंध के उल्लंघन को स्वीकार कर लिया था। दूसरा प्रतिवादी. जैसा कि डो डी में देखा गया था। मोरक्राफ्ट बनाम मेक्स, (1824) 1 कार और पृष्ठ 347, महत्वपूर्ण यह था कि पहले प्रतिवादी ने क्या किया, न कि उसने क्या कहा। पहले प्रतिवादी को पैसे वापस मिल गए थे और उसके प्रभाव को 'बिना किसी पूर्वाग्रह के' शब्दों से ख़त्म नहीं किया जा सकता जो उसने कहा था।"

इस मामले पर सोहन लाई और अन्य बनाम धारी मल-ईशर दास और अन्य [10]मामले में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया था। लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का वाद खारिज कर दिया गया। हालाँकि, अपील पर रुपये के भुगतान पर वादपत्र में संशोधन करने का आदेश

---

[7] AIR 1934 Nagpur 163(1)
[8] AIR 1955 Raj. 145
[9] AIR 1983 Madras 169
[10] AIR 1928 Lahore 813(2)

दिया गया था। लागत के रूप में 150. मामले को दोबारा सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया। प्रतिवादी ने लागत स्वीकार कर ली लेकिन रिमांड के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील दायर की। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बंकू चंद्र बोस बनाम मरियम बेगम के मामले और रामास्वामी चेट्टियार बनाम चिदंबरम चेट्टियार के मामले में निर्णयों पर भरोसा किया गया था। यह माना गया कि अपील सक्षम नहीं थी क्योंकि प्रतिवादियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश में उन्हें दी गई लागत का भुगतान करके बरी कर दिया था। मेउम सिनाह और अन्य बनाम ब्रह्मा नंद और अन्य [11] में। मामले पर फिर से विचार किया गया और कोहन लाई बनाम धारी मल-ईशर दास के मामले पर भरोसा किया गया कि बिना किसी विरोध के लागतों की स्वीकृति के बाद, एक पार्टी को आदेश को चुनौती देने से रोक दिया गया था। इस स्तर पर, यह कहा जा सकता है कि, उक्त मामले में बिना कोई विरोध दर्ज किए लागतें स्वीकार कर ली गईं। नागपुर उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान-खान बनाम फेलक.उस मोह.मदख.आन का मामला भी देखा गया।

टीएन रंध.इर सिन्न्ह बनाम का.एमएल.सीएसएच और अन्य, जो पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, वेंकलारायुडव बनाम राम कृष्णैया के मामले (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले की पुनरावृत्ति के बाद, इसे निम्नानुसार देखा गया था लागतों की स्वीकृति के बाद आदेशों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखने के संबंध में:-

[11] AIR 1972 P & H 321

"जब भी लागत को विरोध के तहत स्वीकार किया जाता है, "यह हमेशा दिखाता है कि संबंधित व्यक्ति ने आदेश को स्वीकार नहीं किया है। उनकी गैर-मंजूरी केवल तभी है जब थाई आदेश को दिखाने से बाद के चरण में आपत्ति हो सकती है क्योंकि अन्यथा भुगतान प्राप्त करने से पहले विरोध जताने का शायद ही कोई उद्देश्य हो सकता है।"

उक्त मामले की खूबियों पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया कि पार्टी ने 'विरोध के तहत' शब्दों से जो दिखाया गया था, उससे कहीं अधिक कुछ कहा होगा और आगे इसे इस प्रकार देखा गया: -

"इसे कानून की आवश्यकता नहीं माना जा सकता है कि संबंधित वकील को भी अपना बयान इस आशय से दर्ज करवाना चाहिए कि वह अपील या पुनरीक्षण में वादपत्र में संशोधन के आदेश को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार, मेरा निष्कर्ष यह है कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को संशोधन के आदेश को चुनौती देने से नहीं रोका गया है, इस तथ्य के बावजूद कि निचली अदालत में उसके वकील ने लागत स्वीकार कर ली है।"

(4) बाबा पदम गिर चेला के मामले में, जैसा कि ऊपर भी देखा गया है, केस कानून पर चर्चा नहीं की गई थी। हालाँकि, यह विचार बना कि विरोध के तहत लागत की स्वीकृति भी पार्टी को उक्त आदेश को चुनौती देने से रोक देगी।

(5) रामास्वामी चेट्टियार बनाम चिदम्बरम चेट्टियार के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार को उसी उच्च न्यायालय ने वेंकटरायडु बनाम राम कृष्णय्या के मामले में स्वीकार नहीं किया था। हालाँकि, एच. जी. कृष्णा रेड्डी बनाम एम. एम. थिमैया के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के बाद के फैसले में, उक्त दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी गई थी, अर्थात, क्या किया गया था और क्या कहा गया था यह महत्वपूर्ण नहीं था। अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भी धन स्वीकार करने के बाद, यह माना जाएगा कि पार्टी ने आदेश की सत्यता को स्वीकार कर लिया है और अपने अधिकारों को माफ कर दिया है। मेवा सिंह बनाम ब्रह्मा नंद के मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, लागत कोई विरोध दर्ज किए बिना स्वीकार कर ली गई थी। हालाँकि, टिप्पणियाँ की गईं कि यदि विरोध दर्ज कराया गया होता तो स्थिति अलग होती। इन टिप्पणियों को उस मामले में एक निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है। रणधीर सिंह बनाम कमलेश (सुप्रा) के मामले में इन टिप्पणियों का पालन किया गया। (6) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने टीएन ओइडर में दी गई लागत को स्वीकार कर लिया है, जिसमें संशोधन की अनुमति दी गई है, जहां उसने शिकायत में उल्लेख किया है कि झूठ विरोध के तहत टीईएन राशि स्वीकार कर रहा था, यह याचिकाकर्ता पर एक तरफा कार्य था, इसे जीवित रखा। यदि लागत स्वीकार नहीं की गई तो उसे वादी द्वारा न्यायालय में जमा किया जाएगा। 11 याचिकाकर्ता ने अदालत से यह कहते हुए लागत वापस ले ली थी कि यदि मेरी वापसी विरोध के तहत होगी, तो वह अनुमोदन या पुनर्मूल्यांकन

नहीं कर सकता है, यानी आदेश का लाभ स्वीकार कर रहा है और साथ ही आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। एई नाद को समग्र रूप से आदेश स्वीकार करना होगा। उसने जो किया वह यह था कि उसने लागतें स्वीकार कर लीं और पारित आदेश की सत्यता को स्वीकार कर लिया। हालाँकि लागत स्वीकार करते समय याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह विरोध के अधीन था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विपरीत पक्ष ने याचिकाकर्ता के बयान पर सहमति नहीं दी थी। यदि वास्तव में याचिकाकर्ता वादपत्र में संशोधन के आदेश को चुनौती देना चाहता था, तो उसके लिए लागत स्वीकार करने की कोई बाध्यता नहीं थी। लागत न्यायालय में जमा रहेगी। वाद में संशोधन की अनुमति देते समय न्यायालय द्वारा वादी पर लगाई गई लागत पर याचिकाकर्ता का अधिकार मुकदमे में याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार पर आधारित नहीं था। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वाद-विवाद में संशोधन होने तक हुई असुविधा के लिए याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए न्यायालय द्वारा लागतों का आदेश दिया गया था, लेकिन आदेश 8 नियम 17 के मद्देनजर वाद-विवाद में संशोधन के लिए शर्तों या शर्तों पर लागतों के संबंध में एक आदेश दिया गया था। , सिविल प्रक्रिया संहिता। इस तरह के आदेश को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की निंदा करते हुए आंशिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वादी यह कहते हुए संशोधित वाद दायर नहीं कर सका कि वह मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय लागत का भुगतान कर सकता है। इसी प्रकार प्रतिवादी लागत स्वीकार करते समय यह नहीं कह सकता था कि वह अपील या पुनरीक्षण में आदेश को चुनौती देगा या यदि

वादपत्र के संशोधन के आदेश को रद्द कर दिया गया तो वह वापस ली गई लागत वापस कर देगा। मामले का सार यह है कि याचिकाकर्ता ने क्या किया, न कि उसने क्या कहा। उन्होंने लागत स्वीकार कर आदेश को सही माना। उन्होंने आदेश का फायदा उठाया है. वह अब पलट कर यह नहीं कह सकता कि वह आदेश को चुनौती भी देगा। उसे आदेश को चुनौती देने की अनुमति देना लागतों की स्वीकृति के प्रभाव को ख़त्म करने जैसा होगा। ऐसी परिस्थिति में वह अनुमोदन या प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकता। उसका अपना कृत्य ही उसे रोक देगा। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास दो विकल्प थे, एक लागत स्वीकार करना और आदेश को सही मानना, दूसरा लागत स्वीकार न करना और पुनरीक्षण में इसे चुनौती देना। उन्होंने लागतों को स्वीकार करने का चुनाव करते हुए आदेश को सही मानकर अपनी पसंद का प्रयोग किया। ऐसे में उनका विरोध दर्ज कराना बेमानी है। यहां आर. समुद्र विजयम चेट्टियार बनाम श्रीनिवास अलवर और अन्य [12] में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं: -

> "जहां एक आदमी दो असंगत अधिकारों में से एक का हकदार है और उसने पूरी जानकारी के साथ एक स्पष्ट कार्य किया है जो एक के लिए अपनी पसंद का संकेत देता है, वह बाद में दूसरे का पीछा नहीं कर सकता है जो कि पहली पसंद के बाद

[12] AIR 1956 Madras 301

असंगतता के कारण अब उसके लिए खुला नहीं है . ऐसे मामलों में उनके आवेदन के आधार के रूप में दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती है।

इसी तरह का दृष्टिकोण मद्रास उच्च न्यायालय ने के. शनमुघम पिल्लई और अन्य बनाम एस. षणमुघम पिल्लई और अन्य [13]) में लिया था। रामास्वामी चेट्टियार बनाम चिदम्बरम चेट्टियार मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार सही प्रतीत होता है। उक्त उच्च न्यायालय ने एच.जी. कृष्णा रेड्डी बनाम एम.एम. थिम्मैया के मामले में बाद में इस दृष्टिकोण को दोहराया। इस प्रकार, रणधीर सिंह बनाम कमलेश के मामले में व्यक्त दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने शेर सिंह बनाम भारत संघ[14] में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का भी हवाला दिया। यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 और 31(2) के तहत मामला था। उस मामले में उक्त अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ पेश किया गया और उसके बाद कलेक्टर के पास जमा की गई मुआवजे की राशि वापस ले ली गई। यह माना गया कि मुआवजे की प्राप्ति को मुआवजे के उनके पहले स्पष्ट दावे की छूट या वापसी के रूप में नहीं माना जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ आवेदन करना अपने आप में एक दर्ज विरोध था। याचिकाकर्ता के वकील को इस फैसले से

[13] AIR 1968 Madras 207
[14] 1983 Revenue Law Reporter I.

कोई लाभ नहीं मिल सकता. मुआवजे का दावा स्वयं संपत्ति के मालिक का अधिकार है और यदि इसका कुछ हिस्सा उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे मुआवजे की शेष राशि के उसके अधिकार की छूट नहीं माना जा सकता है जिसके लिए उसने धारा के तहत आवेदन किया था। 18 कलेक्टर के पास पड़ी मुआवजे की रकम वापस लेने से पहले।

ऊपर दर्ज कारणों से, यह पुनरीक्षण याचिका लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)